

From no |||

फर्द महकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर



शाबना देवी

बनाम

रामकरण

किस्म मुकदमा :- 88, 18, 2, R.T. Act

नंबर 61 वर्ष 2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख महकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14-10-22	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के वकील उपस्थित। वकील वादी ने प्रकरण में No <i>imp & muchim</i> जाहिर किया। वादीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 9-12-22 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)	No <i>Istanoon</i> No. 41.
9-12-22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण के पक्षकारान उप. P.O. साहब ने इस तामिल-दौरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14-12-22 को पेश हो।	
14-12-22	पत्रावली पेश हुई। वकील पति वादी उपस्थित। प्रकरण में वकील वादी ने दिनांक 14-10-22 को No <i>imp & muchim</i> जाहिर किया गया, जिस पर वादीगण को नोटिस जारी किये गये। वादीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुए। नोटिस तामिली उपरान्त भी वादीगण उपस्थित नहीं। वादीगण क्षाज भी उपस्थित नहीं। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।  उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)	